

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3037  
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

**लघु-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना**

**3037. श्री लालजी वर्मा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के प्रवेश के बाद स्थानीय लघु-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कम हो गई है।
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का देश भर में लघु-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का विचार है;
- (घ) यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से अब तक स्थापित/पंजीकृत लघु-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ङ) क्या सरकार का लघु-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने का विचार है; और
- (च) यदि हाँ, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन के बाद से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के किसानों से लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कितने ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)**

(क) से (च): बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के प्रवेश के बाद स्थानीय लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या में कमी के बारे में विशिष्ट आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) में उपलब्ध नहीं हैं।

एमओएफपीआई स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं लगाता है। हांलाकि, यह अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र स्कीम यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के ज़रिए छोटे स्तर के उद्योगों समेत ऐसे उद्योग लगाने को बढ़ावा देता है। ये स्कीमों क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग पर आधारित हैं और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लागू की जा रही हैं। इन तीनों स्कीम के तहत एमओएफपीआई द्वारा देश भर में मंजूर किए गए खाद्य प्रसंस्करण प्रोजेक्ट्स का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, संगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 2014-15 के दौरान नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की राशि के साथ फूड प्रोसेसिंग फ़ंड (एफ़पीएफ़) शुरू किया। इसका मकसद समय-समय पर एमओएफ़पीआई द्वारा अधिसूचित किए गए नामित फूड पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए सस्ता लोन देना है।

मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले सहित संबंधित स्कीम गाइडलाइंस के अनुसार, अलग-अलग तरह के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय मदद देता है। पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में 31.10.2025 तक मदद के लिए 45.49 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के साथ 551 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "लघु-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध योजना की शुरुआत से लेकर अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफ़पीआई और पीएमएफ़एमई योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पीएमएफ़एमई के तहत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या	पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत विभिन्न जगहों पर मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	2	18	0
2.	आंध्र प्रदेश	76	8087	38
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	136	0
4.	असम	102	4600	4
5.	बिहार	15	27723	7
6.	चंडीगढ़	0	5	0
7.	छत्तीसगढ़	10	1280	1
8.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	12	0
9.	दिल्ली	22	363	0
10.	गोवा	2	137	1
11.	गुजरात	109	1010	32
12.	हरियाणा	99	1633	9
13.	हिमाचल प्रदेश	44	2537	4
14.	जम्मू और कश्मीर	41	1938	2
15.	झारखंड	2	4250	2
16.	कर्नाटक	98	7724	21
17.	केरल	54	7937	10
18.	लद्दाख	0	90	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	51	11944	10
21.	महाराष्ट्र	244	26172	41
22.	मणिपुर	8	308	0
23.	मेघालय	10	227	0
24.	मिजोरम	4	56	0
25.	नागालैंड	4	429	0
26.	ओडिशा	30	2732	5
27.	पुडुचेरी	2	192	0
28.	पंजाब	76	3021	9
29.	राजस्थान	55	1351	6
30.	सिक्किम	1	65	0
31.	तमिलनाडु	156	17210	20
32.	तेलंगाना	67	7266	13
33.	त्रिपुरा	9	248	0
34.	उत्तर प्रदेश	99	20575	27
35.	उत्तराखंड	59	1037	7
36.	पश्चिम बंगाल	55	431	9